



वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा भोजपुर (बिहार) 802 301

E-mail:- registrarvksuarabihar@gmail.com

पत्रांक cc DC/957/Est/23

दिनांक...29/05/2023

सेवा में,

1. विभागाध्यक्ष, सभी स्नातकोत्तर विभाग,
वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा।
2. प्राचार्य/प्राचार्या सभी अंगीभूत महाविद्यालय,
वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा।
3. सभी शिक्षक गण
सभी स्नातकोत्तर विभाग, एवं सभी अंगीभूत महाविद्यालय,
अंतर्गत वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा।

विषय:- वीर कुँवर सिंह वि०वि०,आरा, के सभी स्नातकोत्तर विभागों एवं सभी अंगीभूत महाविद्यालयों के शिक्षक गण से वांछित सूचना के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि राजभवन द्वारा निर्गत Guidelin

पत्रांक BSU (Statute) -08/2005-283/G.S.(I) dated 15.02.2023 के -

हिंदी में अंकित पृष्ठ -9 के नोट 5 (ख) पुरानी प्रोन्नति योजना के अधीन प्रोन्नत किये गये उम्मीदवार प्रभावित नहीं होंगे। जिन उम्मीदवारों को नई प्रोन्नति योजना (सी०ए०एस०) के लागू होने की तिथि अर्थात 18 जुलाई 2018 और नई योजना की अधिसूचना की तिथि के बीच प्रोन्नत नहीं किया गया है, उनके पास दो विकल्प होंगे, या तो नई प्रोन्नति योजना का चयन करें या अधिसूचना की तिथि तक पुरानी प्रोन्नति योजना का अनुसरण करें।

एवं अंग्रेजी में अंकित पृष्ठ -9 Note - (5.b) The candidate who has been promoted under the old promotion schemes shall not be affected . The candidates, who have not been promoted between the date of enforcement of the new promotion scheme (CAS) i.e. 18th July 2018, and date of notification of the new scheme , will have two options, either to opt. for new promotion scheme or follow the old promotion schemes till the date of notification.

उक्त में निहित प्रावधान में दिए गए दो विकल्प में से आप किसमें जाना चाहते हैं? ये दिए गए प्रोफोर्मा के अनुसार दिनांक 31/05/2023 तक कुलसचिव कार्यालय में अवश्य जमा करवा दें ताकि प्रोन्नति का कार्य नियमानुकूल सुचारू रूप से हो सके।

इसे उच्च प्राथमिकता दें।

Ranjit Kumar
कुलसचिव
29.05.2023
29/5/23

PROFORMA

सेवा में,

कुलसचिव,

वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा।

विषय- वि०वि० पत्रांक CCDC/...../Estab /23, दिनांक 29/05/2023 के अनुसार मांगी गई वांछित सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में वि०वि० पत्रांक CCDC/...../Estab/23, दिनांक 29/05/2023 के द्वारा मांगी गई सूचना के संबंध में स्पष्ट करना है कि मैं
विषय विभाग/महाविद्यालयका
शिक्षक हूँ , मैं राजभवन द्वारा निर्गत Guideline पत्रांक BSU(Statute) -08/2005-283/G.S.(I) dated 15.02.2023 में निहित प्रावधान में दिए गए दो विकल्प में से विकल्प
.....के अनुसार अपनी प्रोन्नति चाहता/चाहती हूँ।

नाम

विषय

विभाग/महाविद्यालय

मोबाइल नंबर

ई-मेल आई०डी०